



# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर  
(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

क्रमांक:- एफ-7 (184) रालसा/संस्था-Staff Dir./2019/ 155 दिनांक:- 25.3.19

## कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 04/ई.वी./2019 दिनांक 28.02.2019 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक : 06/ई.वी./2019 दिनांक 15.03.2019 को दृष्टिगत रखते हुए सोमवार दिनांक 15 अप्रैल, 2019 से रविवार दिनांक 30 जून, 2019 तक ग्रीष्मकाल के दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर एवं राजस्थान उच्च न्यायालय मीडियेशन सेन्टर, जयपुर/जोधपुर के कार्यालयों का समय प्रातः 7.30 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है, जिसमें 10.30 बजे से 10.45 बजे तक मध्यान्तर होगा।

जबकि राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के कार्यालय का समय प्रातः 7.30 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक रहेगा, जिसमें 10.00 बजे से 10.15 बजे तक मध्यान्तर होगा।

आज्ञा से,

— Sd —  
(अशोक कुमार जैन)

सदस्य सचिव,


राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जयपुर।

क्रमांक:- 6454 - 6505

दिनांक:- 25/3/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज इंचार्ज, मीडियेशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. श्रीमान् सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, 12/11 जामनगर हाउस, नई दिल्ली।
6. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रालसा, जयपुर।
9. श्रीमान् अध्यक्ष एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
10. समस्त अनुभाग, रालसा, जयपुर/जोधपुर।
11. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट, रालसा, जयपुर/राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर।
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
13. संबंधित/आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक